

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर

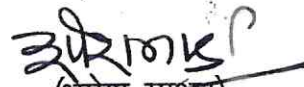
क्रमांक:- एफ.2 (क)(सी-130)अलेसे-1/3648-54

दिनांक:- 22/05/2024

शुद्धि आदेश

श्री चन्द्रशेखर आजाद, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय निदेशालय, कृषि विपणन विभाग, जयपुर को प्रथम चयनित वेतनमान (9 वर्षीय) के दौरान परिनिंदा का दण्ड दिये जाने के फलस्वरूप प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 23.01.2004 के स्थान पर दिनांक 23.01.2005 को स्वीकृत की गई है।

द्वितीय चयनित वेतनमान (18 वर्षीय) स्वीकृति दिनांक 23.01.2013 के स्थान पर दिनांक 23.01.2014 को स्वीकृत की गई थी। श्री बाबू लाल सन्देशा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के प्रकरण में वित्त (नियम) विभाग द्वारा दिये गये मार्गदर्शन (अन्तर्विभागीय टीप संख्या 252001111 दिनांक 30.12.2020) के अनुसरण में परिनिंदा दण्ड का परिणामिक प्रभाव द्वितीय एसीपी पर देय नहीं होने के कारण श्री चन्द्रशेखर आजाद, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को द्वितीय एसीपी स्वीकृति दिनांक 23.01.2014 के स्थान पर दिनांक 23.01.2013 की जाती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क)(सी-130)अलेसे-1/3648-54

दिनांक:- 22/05/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय निदेशालय, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
2. श्री चन्द्रशेखर आजाद, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय निदेशालय, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. वरिष्ठता सीट/डीपीसी शाखा।


(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)